तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.20	उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर हैं / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.10.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29.10.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० की गई। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 12.11.20 को पेश हो।	
12.11.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं. 2449 रकबा 18 बिस्वा भूमि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थी के आने-जाने हेतु रास्ता विपक्षीसं. 01 लगायत 11 की आराजी नं. 2455 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि की मेड़ के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट पर	

उपखण्ड अधिकारी माण्डल भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.19 15:56:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...ख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः :: आदेश :: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं० 2449 रकबा 18 बिस्वा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी सं० 01 लगायत 11 की आराजी नं० 2455 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे से पूर्वी मेड़ के सहारे होते हुए उत्तरी मेड़ से पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 12 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबलराशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे। और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.19 15:56:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner